रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082020-221299
CG-DL-E-22082020-221299

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942
No. 337] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

फा.सं. 1-1/2020-सी.सी.पी.ए.—केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 14 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 104 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (कार्य आबंटन और संचालन) विनियम, 2020 है।

ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं---(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) 'अधिनियम' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) 'केंद्रीय प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 10 के अधीन स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) उन शब्दों और पदों का जो प्रयुक्त हैं, इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, यथार्त् वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम अथवा नियमों, में दिया गया हैं।

3. **कार्य का आबंटन और संचालन की प्रक्रिया—**(1) केंद्रीय प्राधिकरण का कार्य संचालन मुख्य आयुक्त के निर्देशों पर संचालित किया जाएगा।

(2) मुख्य आयुक्त स्वयं और आयुक्तों के बीच केंद्रीय प्राधिकरण के कार्य का आबंटन करेगा।

(3) मुख्य आयुक्त को केंद्रीय प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंधित में शक्तियां प्राप्त होंगी और वह अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) के अनुसार ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) जब तक कि मुख्य आयुक्त गोपनीयता के आधार पर अन्यथा निर्धारित नहीं करेगा, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई निर्णय केंद्रीय प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(5) केंद्रीय प्राधिकरण का प्रत्येक निर्णय और निर्देश लिखित रूप में लेखबद्ध किया जाएगा और अभिलेख के रूप में रखा जाएगा।

4. **वे तरीके और रूप जिनमें संविदाएं निष्पादित की जाएगी –** (1) केंद्रीय प्राधिकरण की ओर से कोई संविदा केंद्रीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा उसके प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा के हस्ताक्षर के साथ लिखित रूप में की जाएगी तथा उसी रीति में परिवर्तित और निस्तारित की जा सकेगी।

(2) किसी संविदा से संबंधित किसी दस्तावेज को केंद्रीय प्राधिकरण की ओर से मुख्य आयुक्त दवारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जा सकेगा।

(3) इन विनियम के उपबंधों के अनुसार की गई सभी संविदाएं विधिमान्य होंगी और केंद्रीय प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होंगी।

(3) इन विनियम के उपबंधों के अनुसार की गई सभी संविदाएं विधिमान्य होंगी और केंद्रीय प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होंगी।

5. **सामान्य मुहर लगाना –** केंद्रीय प्राधिकरण की सामान्य मुहर, केंद्रीय प्राधिकरण के किसी स्वीकृत प्रस्ताव के संबंध में तथा उस आयुक्त, जो अपनी उपस्थिति में प्रतीकात्मक रूप में उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के अतिरिक्त किए जाएंगे, जो निष्पादक के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकेगा, के सिवाय किसी दस्तावेज पर नहीं लगायी जाएगी।

6. प्रतिपूर्ति — ऐसे व्यक्ति, जो केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारी नहीं हैं और जिन्हें केंद्रीय प्राधिकरण की किसी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, केंद्रीय प्राधिकरण के विवेकानुसार वास्तविक यात्रा और वृत्ति व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

7. प्रक्रिया की किसी अनियमितता का प्रभाव – केंद्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य अथवा निर्णय केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया में किसी अनियमितता, जो मामले की विशिष्टता को प्रभावित नहीं करती है, के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं माना जाएगा।

निधि खरे, मुख्य आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./196/2020 -21]

CENTRAL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2020

F. No. 1-1/2020-CCPA.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 104 read with sub-section (1) of section 14 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Consumer Protection Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:--

1. Short title and commencement. --- (1) These regulations may be called the Central Consumer Protection Authority (Allocation and Transaction of Business) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.--- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,--

a) 'Act' means the Central Consumer Protection Act, 2019(35 of 2019);
b) 'Central Authority' means the Central Consumer Protection Authority established under section 10 of the Act;
c) all words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or the rules made thereunder, shall have the meanings as assigned to them in the Act or in the rules, as the case may be.

3. Procedure for transaction and allocation of business. — (1) The transaction of business of the Central Authority shall be carried out on the directions of the Chief Commissioner.

(2) The Chief Commissioner shall allocate the business of the Central Authority between himself and the Commissioner.

(3) The Chief Commissioner shall have powers in respect of all administrative matters of the Central Authority and may delegate such powers as per sub-section (2) of section 14 of the Act.

(4) Any decision taken by the Central Authority shall be published on the website of the Central Authority unless the Chief Commissioner determines otherwise on grounds of confidentiality.

(5) Every decision and direction of the Central Authority shall be recorded in writing and be kept as a record.

4. Manner and form in which contracts may be executed.— (1)Any contract on behalf of the Central Authority may be made in writing signed by an officer of the Central Authority or any other person acting under its authority, and may in the same manner be varied or discharged.

(2) Any document connected with any contract may be signed and verified on behalf of the Central Authority by any officer authorised by the Chief Commissioner.

(3) All contracts made according to the provisions of this regulation shall be valid and binding on the Central Authority.

5. **Affixation of Common Seal.--**The Common Seal of the Central Authority shall not be affixed to any instrument except in pursuance of a resolution of the Central Authority and in the presence of the Commissioner who shall sign on such instrument in token of his presence and such signing shall be independent of the signing of any person who may sign the instrument as the executor.

6. **Reimbursement. —** Persons who are not officers of the Central Authority and who have been invited to attend any meeting of the Central Authority may be entitled to reimbursement of actual travel and subsistence expenses at the discretion of the Central Authority.

7. **Effect of any irregularity of procedure.--**No act or decision of the Central Authority shall be invalid merely by reason of any irregularity in the procedure of the Central Authority not affecting the merits of the case.

NIDHI KHARE, Chief Commissioner
[ADVT.-III/4/Exty./196/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.22 13:52:35 +05'30'